**संख्या-166/2021/593/23-14-2021-62आ0पू0वि0नि0/2018**

प्रेषक,

महेश कुमार,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,

आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, गाजीपुर,

मीरजापुर, प्रतापगढ़, बलिया एवं श्रावस्ती।

**लोक निर्माण अनुभाग-14** **लखनऊ: दिनांक- 25 मार्च, 2021**

**विषय-**पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, प्रतापगढ़, बलिया एवं श्रावस्ती की 20 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या-1409/पू0वि0नि0राज्यांश/2020-21, दिनांक 12.10.2020, मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्र संख्या-4000/अनु0-83(राज्यांश)/2019-20, दिनांक 05.09.2019, मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर के पत्र संख्या-457/पू0वि0नि0(राज्यांश), दिनांक 22.02.2021, पत्र संख्या-459/पू0वि0नि0राज्यांश, दिनांक 22.02.2021, मुख्य विकास अधिकारी, पत्र संख्या-1292/18माका, दिनांक 14.05.2018, पत्र संख्या-1294/18माका, दिनांक 14.05.2018, पत्र संख्या-1298/18माका, दिनांक 14.05.2018, पत्र संख्या-1290/18माका, दिनांक 14.05.2018, पत्र संख्या-1297/18माका, दिनांक 14.05.2018, मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर के पत्र संख्या-598/1 लेखा, दिनांक 09.03.2021, मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ के पत्र संख्या-931/2सी0/पू0वि0नि0/राज्यांश/2020-21, दिनांक 09.03.2021, मुख्य विकास अधिकारी, श्रावस्ती के पत्र संख्या-260/पू0वि0नि0-राज्यांश/2019-20, दिनांक 27.06.2020, मुख्य विकास अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या-426/पू0वि0नि0, दिनांक 04.02.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभिन्न जनपदों की परियोजनाओं का उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-आजमगढ़, अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, प्रतापगढ़, बलिया एवं श्रावस्ती की 20 परियोजनाओं के क्रियान्वयन

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हेतु अगली/अंतिम किस्त के रूप में कुल धनराशि रू0 9,57,19,900.00 (रूपये नौ करोड़ सत्तावन लाख उन्नीस हजार नौ सौ मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है-

**धनराशि (लाख रू0 में)**

| क्र0 सं0 | परियोजना का नाम/ जनपद | शासनादेश संख्या व दिनांक | लम्बाई (कि0मी0) | प्रशासकीय स्वीकृति/प्राविधिक स्वीकृति | कुल अवमुक्त धनराशि | वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि का आवंटन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | सम्मोमपुर खालसा पुलिया शीतलपुर नत्थूपुर होते हुए दाउदपुर पिच मार्ग तक लेपन का कार्य एवं पुलिया का निर्माण कार्य। **जनपद-आजमगढ़** | 125/2016/386/23-14-2016-76आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 31.03.2016 | 2.20 | 96.83 | 9.73 | 50.00 |
| 2 | ग्राम रामपुर टण्डवा पिच से भवनापुर होते हुए ग्राम सपही की यादव बस्ती तक लेपन एवं 03 पुलिया निर्माण का कार्य। **जनपद-आजमगढ़** | तदैव | 1.50 | 68.46 | 6.86 | 61.60 |
| 3 | ग्राम सभा सेमरा में श्री झीनक के आवास से ग्राम सेमरा सी0सी0 रोड से लेपन एवं पुलिया निर्माण का कार्य। **जनपद-आजमगढ़** | तदैव | 1.80 | 76.98 | 7.69 | 69.29 |
| 4 | ग्राम सभा अल्लीपुर से नदी तक नाले का निर्माण कार्य। **जनपद-आजमगढ़** | तदैव | 1.15 | 79.16 | 7.91 | 50.00 |
| 5 | मया-टाण्डा मार्ग पर पुन्नवासी निषाद के घर से पंडित का पुरवा होते हुये निषाद बस्ती (भगवती निषाद के घर के आगे तक) तथा जमुना रईया पुरवा तक मार्ग का निर्माण। **जनपद-अम्बेडकरनगर** | 124/2016/194/23-14-2016-10आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 31.03.2016 | 1.50 | 74.57 | 7.46 | 67.11 |
| 6 | बेलहा गौरा मार्ग से गुलरिहा खास होते हुए भरभरिया छोटकी मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर** | 50/2019/101/23-14-2019-67आ0पू0वि0नि0/18, दिनांक 07.02.2019 | 2.50 | 151.51 | 90.90 | 60.61 |
| 7 | रेहरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर** | तदैव | 1.20 | 79.19 | 65.83 | 13.36 |
| 8 | बुद्धनगर से सुभागपुर गंगापुर होते हुए गंगापुर बर्धा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलरामपुर** | 80/2018/308/23-14-2018-29आ0पू0वि0नि0/17टी0सी0, दिनांक 30.03.2018 | 3.00 | 236.83 | 143.19 | 50.00 |
| 9 | नन्द गंज सदियाबाद मार्ग से डीहबाबा मंदिर होते हुए सुजनीपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर** | 136/2016/223/23-14-2016-31आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 31.03.2016 | 2.50 | 127.22 | 12.72 | 50.00 |
| 10 | कोड़री दक्षिण का पुरा डिल्ला यादव बस्ती होते हुए बटोह पिपनार पी0डब्लू0डी0 रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर** | 214/2015/502/23-14-2015-127आ0पू0वि0नि0/14, दिनांक 30.03.2015 | 4.00 | 221.15 | 11.05 | 50.00 |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | मलिकपुरा यादव बस्ती से बसिला मदारपुर माइनर पटरी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर** | तदैव | 4.00 | 212.49 | 10.62 | 50.00 |
| 12 | नेवादा पिच रोड से पठनपुरा नखतपुर मठपुरा बेदौली होते हुए मिर्जापुर रोड तक सम्परर्क मार्ग एवं 05 नं0 900 एम0एम0 व 05 नं0 350 एम0एम0 डाया हयूम पाइप पुलियों सहित निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर** | 105/2016/356/ 23-14-2016-253आ0पू0वि0नि0/15, दिनांक 31.03.2016 | 5.00 | 275.97 | 55.20 | 50.00 |
| 13 | रामपुर पिच से अतरौला यादव बस्ती मंडुरिया होते हुए नायकडीह तक सम्पार्क मार्ग एवं 04 नं0 900 एम0एम0 व 04 नं0 350 डाया हयूम पाइप पुलियों सहित निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर** | तदैव | 4.00 | 218.49 | 43.70 | 50.00 |
| 14 | जलालपुर घनी बस्ती में विरेन्द्र राम के घर से होते हुए दाऊदपुर मौजा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर** | 95/2016/160/ 23-14-2016-33आ0पू0वि0नि0/ 15, दिनांक 30.03.2016 | 1.30 | 66.26 | 13.25 | 53.01 |
| 15 | नियांव पिच रोड से विशम्भमपुर त्रिलोकपुर धुरेहरा सम्पोर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-गाजीपुर** | 696/26-ब0प्र0/2013-69आ0/2013, दिनांक 24.12.2013 | 4.00 | 160.33 | 64.00 | 50.00 |
| 16 | करौदिया पी0डब्लू0डी0 रोड से होते हुये हरबरा महोबिया सम्पर्क मार्ग। **जनपद-मीरजापुर** | 225/2015/516/ 23-14-2015-86आ0/14, दिनांक 30.03.2015 | 3.00 | 171.41 | 144.21 | 27.199 |
| 17 | जेगीपुर बहोरिया मार्ग से हनुमान पाण्डेय का पुरवा से इंडियन गैस एजेंसी वाया महुवारी सम्पर्क मार्ग। **जनपद-प्रतापगढ़** | 28/2019/34/ 23-14-2019-33आ0पू0वि0नि0/ 18, दिनांक 24.01.2019 | 1.30 | 54.02 | 21.30 | 32.72 |
| 18 | भीमपुरा बरौली मार्ग से जजौली होते हुए अमावें सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलिया** | 133/2016/335/ 23-14-2016-24आ0पू0वि0नि0/ 15, दिनांक 30.03.2016 | 5.00 | 218.76 | 87.50 | 50.00 |
| 19 | सेमरी गोविन्दपुर गोपपुर गोबरी लोहटा पचदौरा मार्ग के किमी0 2 से चारागाह होते हुये हरिजन बस्ती डीहू भगत सरया गोविन्दपुर रेलवे स्टेशन मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-बलिया** | तदैव | 6.20 | 305.74 | 283.44 | 22.30 |
| 20 | संगमपुरवा से सेमरहनिया होते हुये चमरपुरवा वाया बाघेंपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य। **जनपद-श्रावस्ती** | 85/2019/190/ 23-14-2019-69आ0पू0वि0नि0/ 18, दिनांक 02.03.2019 | 2.10 | 145.06 | 14.50 | 50.00 |
| | | **योग** | **57.25** | **3040.43** | **1101.06** | **957.199** |

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- परियोजना का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्यो के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायॅ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजना के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) वित्त आय-व्ययक अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24, मार्च, 2020 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-पूर्वांचल विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

**संख्या-166/2021/593(1)/23-14-2021-तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।

3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।

5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7- समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

8- समस्त क्षेत्रीय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।

10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेश कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।